केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 250 बुधवार 9 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

भाजपा ने निकाली बाइक रैली

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा,(बस्ती)। भारतीय जनता पार्टी के आठ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर महादेवा विधान सभा क्षेत्र के गायघाट नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बालकृष्ण त्रिपाठी पिंटू, बाइक रैली के संयोजक प्रदुम्मन शुक्ला व नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और गगन भेदी नारे लगाते हुए कस्बे में भ्रमण किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बालकृष्ण त्रिपाठी पिंटू ने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में सभी को विस्तार से बताएं।

बाइक रैली संयोजक प्रदुम्मन शुक्ला ने बताया कि रूपरेखा के अनुसार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों तक सरकार की उपलब्धियां को गिनाया जाएगा। सभी कार्यकर्ता जन–जन तक योजना को बताएं।

रैली कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दुर्गेश अग्रहरि, संजय चौरसिया, रवि पांडे, जनार्दन प्रसाद ,संतोष अग्रहरि, वीरेंद्र राजभर, सत्यम दुबे, वैभव सिंह, पुरुषार्थ सिंह, अमित गुप्ता, महेश, भोला सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

प्राथमिकता से कराये पूर्व सैनिकों की समस्याआं का समाधान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को अधिकारी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, क्योकि सैनिक देश की सीमाओं पर मुस्तैदी के साथ हमारी और देश की सुरक्षा का काम करते हैं। इसलिए हम सबका भी दायित्व बनता है कि उनकी समस्याओं को निपटाया जाय। यह बातें जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में सैनिक कल्याण बन्धु की बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनते हुए दिए हैं।

जिलाधिकारी ने बैठक में आए हुए पूर्व सैनिकों की समस्याओं को एक–एक करके सुना तथा मौके पर उपस्थित अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान भूमि विवाद, रास्ता अवरूद्ध, भूमि पैमाइश, जल निकासी की समस्या का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित को निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया। बैठक में सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, उप जिलाधिकारी शत्रुध्न पाठक, आशुतोष तिवारी, शाहिद अहमद, मनोज प्रकाश, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल देवेन्दर गुहानी सहित भूतपूर्व सैनिकगण उपस्थित रहे।

डीएम ने किया बैंक का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने क्षेत्रीय कार्यालय बडौदा उत्तर प्रदेश बैंक का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैक द्वारा अवगत कराया गया कि 406 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसके सापेक्ष 103 लाभार्थियों को विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा 65 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त कम प्रगति पायी गयी एवं स्वीकृति व वितरण में अधिक अन्तर भी पाया गया। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कुल 268 आवेदन पत्र निरस्त किए गये है।

विरोध–प्रदर्शनों के बीच वक्फ कानून लागू केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी

नई दिल्ली (आभा)। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक वक्फ (संशोधन) कानून 8 अप्रैल 2025 से देशभर में लागू हो गया है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी (केविएट) लगाई है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ (संशोधन) कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी आदेश देने से पहले कोर्ट उसकी बात जरूर सुने। यह कदम तब उठाया गया है जब इस नए कानून के खिलाफ कई बड़ी संस्थाओं और नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि इस कानून को संसद में भारी बहस के बाद पास किया गया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दी थी।

अब तक इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में जमीअत उलेमा–ए–हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ राजनीतिक नेताओं की याचिकाएं भी शामिल हैं। ये सभी याचिकाएं वक्फ कानून 2025 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ये याचिकाएं 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकती हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 7 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली पीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भरोसा दिलाया था कि उनकी याचिका को जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा।

केंद्र द्वारा दायर की गई केविएट का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोर्ट कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले केंद्र पक्ष को सुने। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अदालत में कोई भी आदेश एकतरफा तौर पर न दिया जाए।

दबंगों द्वारा मकान को गिराये जाने से रोकने की मांग

–पीड़ित परिवारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कोतवाली थाना क्षेत्र के बभनगांवा निकट हनुमान कालोनी के निवासियों ने मंगलवार को ममता यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि राजनीतिक दबाव में दबंगों द्वारा गरीबों का मकान ध्वस्त किये जाने का सिलसिला रोका जाय।

ज्ञापन देने के बाद ममता यादव ने बताया कि वे गरीब लोग हैं और कई वर्षो से बभनगांवा में रह रहे हैं, उनके नाम से बिजली का कनेक्शन भी है। मकानों के टूट जाने से उनका परिवार सड़क पर आ जायेगा और खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर होगा। मांग किया कि जनहित में उनके मकानों को तोड़ फोड से रोका जाय। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मी पाण्डेय, जवाहर लाल श्रीवास्तव, गीता चौधरी, प्रदीप भारती, बिलकिस बानो, गगन श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।

सूचना अधिकार कानून का माखौल बर्दास्त नहीं, राजन चौधरी ने भेजा लीगल नोटिस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विश्व ज्ञान क्रांति जनहित संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन चौधरी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनहित में मांगी गई सूचना की वास्तविकता की प्रति उपलब्ध कराने की जगह पर भ्रमित करने वाली सूचना उपलब्ध कराए जाने पर, कार्यपालिका न्यायपालिका व प्रदेश के अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होने कहा कि यदि न्यायहित में कार्यवाही न हुई तो वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे।

जनहित संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन चौधरी ने बताया कि सूचना के अधिकार कानून का अनेक अधिकारी माखौल उड़ा रहे हैं। समय पर सूचना न देना, लोगों को अकारण दौडाना आदत में शामिल हो गया है। इन सवालों को लेकर वे विधिक तौर पर संघर्ष करेंगे।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से राजन चौधरी ने बताया कि लीगल नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर मांगी गई बिंदुवार सूचना की प्रति यदि उपलब्ध न करायी गई तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक प्रकरण को ले जाया जायेगा।

भाजपा ने लगाया विकास यात्रा की प्रदर्शनी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय, बस्ती में पार्टी की विकास यात्रा से संबंधित प्रेरणादायक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर त्रिपाठी ने जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र कि अध्यक्षा में फीता काटकर सुभारम्भ किया।

मुख्य अतिथि प्रेम सागर त्रिपाठी ने कहा यह प्रदर्शनी भाजपा की गौरवशाली यात्रा, सिद्धांतों, उपलब्धियों एवं कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती है। भाजपा केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे मूल्यों पर आधारित है।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और देशभक्ति ने ही भाजपा को आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया है। पारदर्शिता, तत्परता और संवाद ही सुशासन का आधार पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक भाजपा ने हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक के कल्याण के लिए कार्य किया है चाहे वह ग्रामीण विकास हो, महिला सशक्तिकरण या युवा सशक्ति की दिशा में किए गए प्रयास।

इस मौके पर भानु प्रकाश मिश्र, अमृत कुमार वर्मा, अखण्ड प्रताप सिंह, गौरव अग्रवाल, सुनील सिंह, राजकुमार शुक्ल, दिव्यांशु दुबे, मनीष चौबे, हनुमान प्रसाद, आदित्य शर्मा, शशांक शुक्ल आदि मौजूद रहे।

पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में 26 फीसदी की बढ़ोतरी

लखनऊ (आभा)। योगी सरकार ने प्रदेश में पीआरडी स्वयंसेवकों को सौगात देते हुए इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 34 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा। सीएम योगी की अगुवाई में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 500 रुपये कर दिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और इस बढ़ी हुई राशि का लाभ इन सभी जवानों को मिल सकेगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के पीआरडी जवानों में खुशी लहर है।

अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए डे केयर सेंटर को मंजूरी। जिला दिव्यांग व सशक्तिकरण विभाग को जमीन निशुल्क ट्रांसफर की जाएगी। अयोध्या में 300 बेड के अस्पताल के लिए 12,798 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क दी जाएगी। यह जमीन सीतापुर आई हॉस्पिटल की सरप्लस जमीन का एक हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा की नियमावली में बदलाव। अभी विभाग में प्रमोशन की वजह से वरिष्ठ अफसर ज्यादा और कर्मचारियों की संख्या कम हो गई थी। फुल स्टाफ नियमावली में बदलाव कर इस पिरामिड को ठीक किया जाएगा। निचले स्टाफ के 900 पद रहेंगे। इसके बाद 150 पदों का प्रमोशन किया जाएगा। विभाग में कुल 1307 पद हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल वे के क्रॉसिंग और इंटरचेंज का निर्माण एनएचएआई करेगा। पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी और टोल शुल्क से इस खर्च की भरपाई की जाएगी। जमीन का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास रहेगा। हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए 6.67 हेक्टेयर जमीन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की मंजूरी। यह जमीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की है। इस जमीन की दर वर्ष 1987 से ही ली जाएगी।

पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी मोर्चो पर आगे बढ रहा है देश–दयाराम चौधरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । 11 वर्षो के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश खेती किसानी, रोजगार, विदेश नीति, आर्थिक मोर्चो पर तेजी से आगे बढ रहा है। अनेक उतार चढाव के बीच देश की जनता तक सीधे किसान सम्मान निधि, उज्जवला योजना के साथ ही अनेक योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने मंगलवार को बड़े बन के निकट एक होटल के सभागार में आयोजित बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में व्यक्त किया।

–भाजपा सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में हुआ विमर्श, उपलब्धियों पर चर्चा

पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुये विकास की विस्तार से चर्चा करते हुये कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और निरन्तर प्रगति कर रहा है।

पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ल ने भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा, जनसंघ से लेकर अब तक के विस्तार, सांगठनिक मजबूती के अनेक विन्दुओं पर चर्चा करते हुये कहा कि आज भाजपा विश्व में सर्वाधिक सदस्यों वाला राजनीतिक दल है। यह बड़ी उपलब्धि है। राजेन्द्र गौड़ ने अनुसूचित जाति, जन जाति के विकास, उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर देने के अनेक विन्दुओं पर चर्चा किया।

कार्यक्रम संयोजक अर्जुन चौधरी ने सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में आये पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुये कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे इस दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम का संचालन शालिनी मिश्रा ने किया।

बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में मुख्य रूप से कृष्णचन्द्र सिंह, जगदीश शुक्ल, राजेश पाल चौधरी, अशोक गुप्ता, दिलीप पाण्डेय, रोली सिंह, धर्मेन्द्र जायसवाल, दिलीप भट्ट, अरविन्द चौधरी, शिवपूजन राजभर, कामेन्द्र चौहान, इन्द्रजीत भारती, रामानन्द नन्हें, आशीष चौधरी, राजन पाण्डेय, उदयभान चौधरी, महेन्द्र चौधरी, लालचंद चौधरी, मनोज सिंह, मनीष चौधरी के साथ ही भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

संकल्पों के साथ मनाया गया भारतीय बस्ती अयोध्या का स्थापना दिवसः याद किये गये संस्थापक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। दैनिक भारतीय बस्ती अयोध्या संस्करण के 17 वें स्थापना दिवस उप कार्यालय श्री कृष्ण गौशाला लवकुश नगर अयोध्या में समाजसेवी पूर्व प्रधानाचार्य रमापति पांडे की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कृष्ण कुमार त्रिपाठी, वक्त आचार्य धर्मेंद्र उपाध्याय एवं शिव मंदिर के महंत अनिल मिश्रा ने मां की प्रतिमा पर माला पहना करके किए। इसके पूर्व दैनिक भारतीय बस्ती के संस्थापक हम सभी अभिभावक बाबू जी दिनेश चंद्र पांडेय का 18 फरवरी को साकेत वास हो गया सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके उपरांत संस्करण के प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर के स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रमापति पांडे ने कहा कि दैनिक भारतीय बस्ती का 17 वां स्थापना दिवस प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में मनाया जा रहा है लेकिन अनुभव 47 वर्षों का और उस अनुभव का लाभ अयोध्या संस्करण को प्राप्त हो रहा है अनवरत अखबार निकालना वर्तमान समय में लोहे का चना चबाने जैसा मुश्किल है लेकिन कुशल प्रबंधन सहयोगी नीतियां दैनिक भारतीय बस्ती अखबार को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार त्रिपाठी गुरुजी ने कहा कि सब के सहयोग से ही अखबार आगे बढ़ रहा है और यह निरंतर बढ़ता रहेगा। आचार्य धर्मेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मैं दैनिक भारतीय बस्ती अखबार से बहुत पहले से जुड़ा हूं और देख कर अच्छा लगता है कि आज भी 47 वर्ष तक निरंतर यह अखबार बस्ती ही नहीं बल्कि अयोध्या की धरती पर भी 17 वर्षों से निरंतर लोगों की भी आ रहा है और उनकी समस्याओं को उठा रहा है और आने वाले समय में भी यह आगे ऐसा कार्यकर्ता रहेगा।महंत अनिल मिश्र ने कहा कि अखबार सामाजिक कार्य लेकिन मेहनत बहुत लगती है किसी भी अखबार को चलाने में पूरी टीम की आवश्यकता होती है और वह टीम निरंतर कार्य करें इसका संयोजन जो सुचारू रूप से करेगा वही अखबार चला पायेगा।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्करण के प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बस्ती संस्करण के साथ 8 अप्रैल 2008 को अयोध्या संस्करण का शुभारंभ हुआ जिसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे पत्रकारिता के गुरु रहे राज किशोर मौर्या को जाता है और उन्हीं के माध्यम से कार्यालय की व्यवस्था महंत राम कुमार दास ने करवाई । कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमापति पांडे जैसे महान विभूति अखबार से जुड़े और अखबार धीरे–धीरे संपादक प्रदीप चंद्र पांडे की देख रेख में आगे बढ़ रहा है हम आप सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि 17 वें स्थापना में पधार कर आप सब ने हमें अनुग्रहित किया। सभी पत्रकारों का अभिनंदन रामकुमार दास महाराज ने किया। स्थापना दिवस के अवसर वरिष्ठ पत्रकार रमेश मिश्रा, रघुवर शरण, सुशील पांडे, नितिन मिश्रा, श्याम बाबू गुप्ता, अजेंन्द्र पाण्डेय, बमबम यादव ने अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर रामखेलावन, आचार्य मणि शंकर, अभिजीत तिवारी, आदित्य तिवारी, जगदीश तिवारी, हनुमान प्रसाद पांडे, नितिन तिवारी, अनूप सिंह, संतोष सिंह , आदित्य श्रीवास्तव, नितिन अग्रवाल,दिलीप सिंह, साधु श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव अरविंद सिंह, राकेश मिश्रा, अनुराग मिश्रा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

सामाजिक सरोकारों से जुड़ेगा होटल क्लार्कइन–राकेश श्रीवास्तव

-पिता का सपना पूरा हुआ, मां ने किया उद्घाटन -प्रेस क्लब को भेंट किया 7 एसी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस फौव्वारे के निकट अत्याधुनिक सुविधाओं से समृद्ध होटल क्लार्कइन का उद्घाटन उद्योगपति डा. राकेश श्रीवास्तव, ई. आशीष श्रीवास्तव की वयोवृद्ध माता श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव ने किया। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह होटल उनके पिता स्वर्गीय रमेश चन्द्र श्रीवास्तव का सपना था, इसे पूरा करने में वक्त लगा। इस होटलका निर्माण केवल धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। पूरा प्रयास होगा कि बेहतर सुविधा के साथ ही होटल क्लार्कइन अभिव्यक्ति का सशक्त मंच बने। यहां अत्यन्त अल्प धनराशि का योगदान कर सभागार में संगोष्ठी, वैचारिक विमर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। इससे शहर बौद्धिक रूप से समृद्ध होगा। उन्होने प्रेस क्लब को 7 वायु शीतित मशीन ए.सी. भेट किया जिससे प्रेस क्लब संसाधनों से समृद्ध हो।

पत्रकारों से विस्तार से बातचीत में उद्योगपति डा. राकेश श्रीवास्तव, ई. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि क्वांटम ग्रुप भारत समेत दुनिया के अनेक देशों में होटल कारोबार के साथ ही आई.टी. के क्षेत्र में सक्रिय है और कन्सलटेन्सी सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे नई पीढी तकनीक के नये स्वरों को समझे और अपना इच्छाओं का आकाश छू सके। कहा कि बस्ती, सिद्धार्थनगर उनकी जन्म भूमि है और वे अपनी माटी, संस्कृति से जुडा रहना चाहते हैं। कहा कि इस मिट्टी और पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है कि क्वांटम ग्रुप उपलब्धियों के साथ ही मानव सरोकारों के सृजन से जुड़ा हुआ है। परस्पर समन्वय, ज्ञान का आदान प्रदान, करूणा, प्रेम, मैत्री हमारी पूंजी है। होटल क्लार्कइन में इसकी झलक सदैव दिखायी पड़ेगी। यह हमारे परिजनों के इच्छा से जुड़ी इमारत नहीं वरन विचारों का भवन है।

उदघाटन अवसर पर मुख्य रूप से मंत्री संजय निषाद, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्रा ,राजेन्द्र नाथ तिवारी , जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, डॉ० नवीन श्रीवास्तव,दिनेश श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव, सिद्दार्थ श्रीवास्तव, एहतेशाम,राहुल श्रीवास्तव,अविनाश सिंह, भक्ति नारायण, अनमोल रतन पाण्डेय, रिंकू श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, डा. अनिल श्रीवास्तव, डा. नवीन श्रीवास्तव,अभिषेक, मो०दानिश के साथ ही पूर्वान्चल के राजनीतिक,सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग, उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत–बट्टूपुर वि0ख0 –कप्तानगंज, जनपद–बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बट्टूपुर,** विकास खण्ड कप्तानगंज, जनपद बस्ती द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 09–04–2025 से 18.04.2025 को सायं 04.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **बट्टूपुर,** के निविदा बॉक्स में प्राप्त कर डाली जायेगी। जो दिनांक 19.04.2025 पूर्वाहन 12:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **बट्टूपुर,** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **बट्टूपुर,** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–राम प्रसाद	**सचिव–सुमन देवी**
ग्राम पंचायत–बट्टूपुर	ग्राम पंचायत–बट्टूपुर
विकास खण्ड–कप्तानगंज	विकास खण्ड–कप्तानगंज
जनपद –बस्ती	जनपद –बस्ती

पत्रांक मेमो /टेण्डर विज्ञप्ति /2025–26   दिनांक 08.04.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत–रखिया वि0ख0 –कप्तानगंज, जनपद–बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रखिया,** विकास खण्ड कप्तानगंज, जनपद बस्ती द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 09–04–2025 से 18.04.2025 को सायं 04.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **रखिया,** के निविदा बॉक्स में प्राप्त कर डाली जायेगी। जो दिनांक 19.04.2025 पूर्वाहन 02:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **रखिया,** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **रखिया,** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–सुग्रीम	**सचिव–सुमन देवी**
ग्राम पंचायत–**रखिया**	ग्राम पंचायत–**रखिया**
विकास खण्ड–कप्तानगंज	विकास खण्ड–कप्तानगंज
जनपद –बस्ती	जनपद –बस्ती

पत्रांक मेमो /टेण्डर विज्ञप्ति /2025–26   दिनांक 08.04.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम पुजारी) ग्राम प्रधान   **(आदर्श कुमार पाण्डेय)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत धोषण वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सरोज) ग्राम प्रधान   **(विजय कुमार चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मझौवा लालसिंह वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(इन्द्रावती) ग्राम प्रधान   **(विजय कुमार चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बेईली वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(शेर मोहम्मद) ग्राम प्रधान   **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरा चन्द्रपति वि0ख0 साऊंघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कुसुम) ग्राम प्रधान   **(पूनम शर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत समसपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(इन्द्रावती देवी) ग्राम प्रधान   **(जितेन्द्र अरोरा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(वीरेन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कनैला खास वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(नीलम) ग्राम प्रधान **(शिव शंकर चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बेनीपुर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 13–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 14–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कमलावती देवी) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत गौरिया वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनिल कुमार) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत डारीडीहा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुनील चौधरी) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत सरैयाखुर्द वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(साकरून) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार

संवाददाता–कुशीनगर। बिहार के एक इनामी बदमाश समेत दो अपराधियों को मंगलवार को कुशीनगर पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस की गोली लगी है। यह एनकाउंटर कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में परसौनी गांव के पास हुई। जिन दो बदमाशों को गोली लगी उनमें से एक पिछले दिनों बिहार के गोपालगंज जिले में होमागार्ड को गोली मारने के मामले में आरोपी है। बदमाश पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। घायल होने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभिरक्षा में दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दोनों बदमाशों की पुलिस को पशु तस्करी और शराब तस्करी के कई मामलों में तलाश थी। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले का 25 हजार का ईनामी बदमाश बदमाश कुतुबुद्दीन उर्फ छोटू पुत्र इस्लाम निवासी सोहरौना, कोतवाली पडरौना अपने एक साथी के साथ परसौनी गांव के आसपास मौजूद है। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने तत्काल कोतवाली पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज, रविन्द्रनगर धूस, नेबुआ नौरंगिया, साइबर सेल व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम गठित कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भेजा। पुलिस टीम ने गांव के पास पहुंच कर घेराबंदी कर दी। दोनों बदमाश खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने जवाबी प्रतिरक्षा में फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गयी और दोनों गिर गए।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–856/2002
परशुराम चौधरी
बनाम
राधेश्याम चौधरी आदि

1/1 श्रीमती रानी विधवा राधेश्याम 1/2 रोहित चौधरी 1/3 राहुल चौधरी पुत्रगण स्व0 राधेश्याम चौधरी 1/4 अर्चना 1/5 रीता पुत्रीगण स्व0 राधेश्याम चौधरी समस्त निवासी ग्राम मो0 जयपुरवा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 28–04–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 28 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–1181/2021
ओम प्रकाश
बनाम
श्याम लाल आदि

1.श्याम लाल पुत्र चुनमुन साकिन बेलहरा पो0 बेलहरा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 2. श्रीमती सावित्री देवी कथित पत्नी श्यामलाल 3. श्याम बदन पुत्र चुनमुन 1/1 देव प्रकाश 1/2 प्रेम प्रकाश 1/3 चन्द्र प्रकाश पुत्रगण स्व0 श्री श्यामलाल 2/4 ब्रम्हादीन उर्फ ब्रम्हासिंह 2/5 रामदीन उर्फ रामचन्दर कथित पुत्रगण स्व0 श्यामलाल 2/6 यशोदा देवी 2/7 मालती कथित पुत्रीगण स्व0 श्याम लाल 2/8 सन्त प्रकाश 2/9 ज्ञान प्रकाश कथित पुत्रगण स्व0 श्याम लाल साकिनान मौजा बेलहरा पो0 बेलहरा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 02–07–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 07 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
मु0नं0–T2024140315033
धारा 24 L.R.Act
अदालत– श्रीमान अति0 उप जिलाधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
देवेन्द्र कुमार आदि
बनाम
सरकार आदि

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश 2. रमाकान्त पुत्र ओम प्रकाश 3. लक्ष्मी नरायण पुत्र ओम प्रकाश 4. वीरेन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश 5. श्रीमती शीला पत्नी ओम प्रकाश निवासीगण उमरिया तप्पा कनैला परगना नगर पूरव तहसील बस्ती सदर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 16–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान नवम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–601/2013
सहदेव
बनाम
बड़कान उर्फ बड़कन

1/1/1 पवन कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र स्व0 सुकदेव साकिन बैदोलिया तप्पा हरदी परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 02–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 02 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत पड़री वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विमला) ग्राम प्रधान **(शिव शंकर चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत नरायनपुर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रणजीत सिंह) ग्राम प्रधान **(सर्वेश यादव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत शेखपुरा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(शान्ती देवी) ग्राम प्रधान **(शिव शंकर चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत भेलवल वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुमनलता सिंह) ग्राम प्रधान **(सर्वेश यादव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत नौली वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 11–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 12–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अवधेश कुमार चौधरी) ग्राम प्रधान **(शिव शंकर चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मल्हवारा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 09–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(बबलू) ग्राम प्रधान **(सर्वेश यादव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /08.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

अस्पताल में नर्स की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप, हंगामा, संचालक फरार

संवाददाता–संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के टेमा रहमत में स्थित एक निजी हास्पिटल में काम करने वाली नर्स वहां पर मृत अवस्था में मिली। परिजनों को सूचना देकर अस्पताल का स्टाफ और संचालक मौके से फरार हो गए। वहीं बस्ती से पहुंचे परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। मौके पर एसपी तथा अन्य अधिकारी पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किए हैं। नर्स के गले पर नाखून से खरोचने के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने रेप और हत्या की आशंका जताई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर स्थित निजी अस्पताल में पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के पहुरा गांव के निवासी संतराम की 24 साल की नतिनी ममता चौधरी स्टाफ नर्स का काम करती थी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. हाई स्कूल अनुक्रमांक **2631710** वर्ष **2018** और इण्टर मीडिएट अनुक्रमांक **2390357** वर्ष **2020** का अंक पत्र एवं सह अंक पत्र प्रमाण–पत्र वास्तव में खो गया है।

(गुडिया पटेल)
पुत्री श्री विजय प्रताप पटेल
ग्राम– रायपुर पोस्ट– बाली
जनपद महराजगंज (उ.प्र.)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. हाई स्कूल अनुक्रमांक **2393749** वर्ष **2018** और इण्टर मीडिएट अनुक्रमांक **2278378** वर्ष **2020** का अंक पत्र एवं सह अंक पत्र प्रमाण–पत्र वास्तव में खो गया है।

(ऊषा चौधरी)
पुत्री श्री राम सुरेश चौधरी
ग्राम– आमा भुजैनिया
पोस्ट– जिनवा
जनपद बस्ती (उ.प्र.)

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मुतफरिका नम्बर 126/2022
हरिहर आदि
बनाम
राम नवल आदि

1. रामनवल पुत्र भदई 2. रंगीलाल 3. रमेश पुत्रगण रामजतन 4. दशरथा पत्नी रामजतन 5. दुर्गेश 6. सूरज पुत्रगण दलसिंगार उर्फ राजू 7. अनिल 8. सुनील 9. विपिन पुत्रगण रामनयन 10. श्रीमती दुर्गावती पत्नी रामनयन साकिनान मौजा बैड़ारी एहतमाली तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 08–05–2025

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 08 माह 05 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–783/2024
अशोक कुमार सिंह
बनाम
शैलेष कुमार सिंह आदि

1. शैलेष कुमार सिंह 2. बृजेश कुमार सिंह पुत्रगण स्व0 रामनवल सिंह 3. सत्यपाल सिंह 4. अखिलेश कुमार सिंह पुत्रगण स्व0 इन्द्रजीत सिंह निवासीगण ग्राम बसडिलिया तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 12–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 द्वितीय महोदय बस्ती जिला–बस्ती
सिविल अपील सं0 36/2023
रामलखन आदि
बनाम
बनारसी (मृतक) आदि

1. बनारसी (मृतक) 1/1 बबलू 1/2 रामू पुत्रगण बनारसी 2. हीरा (मृतक) 2/1 जुगुल 2/2 नाथे (मृतक) पुत्रगण हीरा 3. मोती पुत्र जानकी 4. मुरली उर्फ मुन्नीलाल (मृतक) 4/1 सोहन लाल (मृतक) 4/1/1 रोशन पुत्र सोहन लाल 4/1/2 ललाऊ 4/2 किसान 4/3 प्रहलाद पुत्रगण मुरली उर्फ मुन्नीलाल 4/4 विश्वनाथ पुत्र दुर्गा 5. नन्दा 6. प्रेमा पुत्रगण मुन्नी लाल 7. बिरजू (मृतक) 7/1 सूर्यलाल 7/2 संदीप पुत्रगण बिरजू 8 कल्पू पुत्र रामदास 9. बहादुर (मृतक) 9/1 रमेश 9/2 बृजेश 9/3 सुभागी पुत्रगण बहादुर 9/4 सीमा पुत्री बहादुर 10. मुन्नी (मृतक) 11. नेबू लाल (मृतक) 12. मेवा 13. किशोर (मृतक) 13/1 पप्पू 13/2 मिठाई पुत्रगण किशोरी 14. राजाराम (मृतक) 14/1 डब्लू 14/2 झिनकान पुत्रगण राजाराम 14/3 सावित्री पत्नी राजाराम निवासीगण मौजा बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 11–04–2025

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 11 माह 04 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com